

भाग- II

(संबन्धित उप वन संरक्षण द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव कि राज्य क्रम संख्या :

7.0	परियोजना / स्कीम का स्थान	(जगदीशपुर हल्दिया एण्ड एस पर पाईप लाईन) गैस पाईप लाईन डालने हेतु ।
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश ।
(ii)	जिला	आजमगढ़
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग आजमगढ़
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र हेक्टर में	0.046 हेक्टर
(v)	वन कि कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	हरयाली का घनत्व	0.01
(vii)	प्रजतिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों कि परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/ जलीय परियोजना के संबंध में एफ आर एल -2मीटर पर परिगणना और एफ आर एल -4 मीटर भी संलग्न किए जाए	विवरण संलग्न है ।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदना शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण से प्रभावित नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित क्षेत्र संरक्षित वन का भाग है ।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण, जैवमण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वरदान कि टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात कि दुर्लभ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हो तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित ही दे ।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / राक्ष प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हो तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दे ।	नहीं
8.0	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कालम - 2 में प्रस्तावित वन भूमि कि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार सस्तुत क्षेत्र क्या है ।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 0.046 हे0 (जगदीशपुर-हल्दिया एण्ड एसपर पाइप लाइन) गैस पाइप लाइन के डाले जाने के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। 0.046 हे0 संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9.0	क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (ह/नहीं)यदि हा तो कार्य कि अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित क्रय का ब्यौरा दे क्या उल्लघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है ।	नहीं
10.0	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू - खंडों की संख्या प्रत्येक भू - खंड का आकार	मऊ-शाहगंज रेल पथ के किनारे संरक्षित वन भूमि 60+58 पौधों का ब्रिकगार्ड में रोपण प्रस्तावित किया गया ।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र ? अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास कि वन सीमाओ को दर्शाता मैप	संलग्न है ।
(iii)	रोपित कि जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के	संलग्न है ।

	विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि	
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	(393900+381100)=775000 प्राक्कलन संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र कि उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रणाम पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये	संलग्न है।
11.0	जिला वन संरक्षक कि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम - 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों कोण दर्शाते हुए (संलग्न करे)।	संलग्न है।
12.0	विभाग / जिला प्रोफाइल	वन विभाग आजमगढ़
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4234 वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	110.399 हे० में
(iii)	मामलो कि संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग मैलगाया गया कुल वन क्षेत्र	दो मामले , 0.206 हे०
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	29.7 हे०
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
ख	वनेतर भूमि पर	29.70 हे०
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	शून्य
ख	वनेतर भूमि पर	29.70 हे०
13.0	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध ने उप वनसंरक्षक कि विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।
तिथि : 21/10/16		हस्ताक्षर
स्थान : Azamgarh		नाम : एस०एन०मिश्र
		सरकारी मुहर : प्रथम-ग्रेड निदेशक
		प्रबंधित वनिकी आजमगढ़